

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री भगवानलाल पिता भंवरलाल निवासी लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 59 / 25 (वाद) GCMS No. – 2025 / 123

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विशनपुरा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 196 पर दर्ज आराजी नम्बर 4 रकबा 1.1736 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम वगतीराम पुत्र भमरु के बजाय वगतीराम उर्फ भगवानलाल पुत्र भमरु उर्फ भंवरलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.11.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

